उत्तर प्रदेश शासन
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2,
संख्या-11/2023/320/94-स्टा0नि0-2-2023
लखनऊ: दिनांक- 12 अप्रैल, 2023

अधिसूचना

आदेश

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से **उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति,** 2022 के अधीन उसमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनार्थ नई इकाई/पार्क की स्थापना हेतु नीचे सारणी के स्तम्भ-4 में यथा दर्शित लिखत के सम्बन्ध में पूर्वोक्त नीति के प्रस्तर-12.2, 13.2, 13.10.1, 13.10.2, 13.10.3 के अनुसार स्तम्भ-3 में यथा उल्लिखित सीमा तक स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान करती है:-

उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, 2022 का प्रस्तर	प्रयोजन	छूट की सीमा	लिखत की प्रकृति
1	2	3	4
12.2	नीति के अधीन राज्य में कहीं भी सौर ऊर्जा इकाई की स्थापना हेतु निजी भूमि क्रय करने अथवा पट्टा पर लेने पर	100%	भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची 1(ख) के अनुच्छेद 23 के खण्ड–(क) के अधीन हस्तान्तरण और अनुच्छेद 35 के अधीन पट्टा के लिखत पर
13.2	नीति के अधीन राज्य में कहीं भी सौर ऊर्जा परियोजना/सौर ऊर्जा पार्क की स्थापना हेतु भूमि क्रय करने अथवा उसे पट्टा पर लेने पर	100%	भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची 1(ख) के अनुच्छेद 23 के खण्ड–(क) के अधीन हस्तान्तरण और अनुच्छेद 35 के अधीन पट्टा के लिखत पर
13.10.1	5 MW से अधिक की धारिता (Capacity) वाले स्टैण्ड अलोन सौर ऊर्जा परियोजना हेतु भूमि के क्रय अथवा पट्टा पर लेने पर	100%	भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची 1(ख) के अनुच्छेद 23 के खण्ड–(क) के अधीन हस्तान्तरण व अनुच्छेद 35 के अधीन पट्टा के लिखत पर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

13.10.2	सौर ऊर्जा पार्क विकासकर्ता को भूमि क्रय करने अथवा उसे पट्टा पर लेने पर	**100%**	भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची 1(ख) के अनुच्छेद 23 के खण्ड–(क) के अधीन हस्तान्तरण व अनुच्छेद 35 के अधीन पट्टा के लिखत पर
13.10.3	5 MW से कम की धारिता (Capacity) वाले स्टैण्ड अलोन सौर ऊर्जा परियोजना हेतु भूमि क्रय करने अथवा उसे पट्टा पर लेने पर	**100%**	भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची 1(ख) के अनुच्छेद 23 के खण्ड–(क) के अधीन हस्तान्तरण व अनुच्छेद 35 के अधीन पट्टा के लिखत पर

इस अधिसूचना के अधीन पूर्वोल्लिखित छूट निम्नलिखित प्रतिबंधों/शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है:–

1-जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त, उद्योग को हस्तान्तरण/पट्टा लिखत की पुष्टि करनी होगी कि विलेख उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, 2022 के अधीन निष्पादित किया जा रहा है और उन्हें उक्त प्रयोजनार्थ साक्षी के रूप में भी हस्ताक्षर करना होगा।

2-यू0पी0एन0ई0डी0ए0 के पक्ष में स्टाम्प शुल्क की छूट के समतुल्य धनराशि की अपरिवर्तनीय बैंक प्रत्याभूति, ऐसे विलेख के रजिस्ट्रीकरण के समय निबंधन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। बैंक प्रत्याभूति की अवधि परियोजना पूर्ण करने हेतु नीति में यथाविहित अवधि से कम अवधि नहीं होनी चाहिए।

3-किसी अन्य नीति के अधीन स्टाम्प शुल्क छूट की प्रसुविधा प्राप्त कर चुकी इकाई इस नीति और अधिसूचना के अधीन स्टाम्प शुल्क माफी/छूट के लिए पात्र नहीं होगी।

आज्ञा से,

लीना जौहरी
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या: 11/2023/320/94-स्टा0नि0-2-2023, दिनांक: 12 अप्रैल, 2023</u>

हिंदी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे दिनांक 12 अप्रैल, 2023 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड(ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात् गजट की 100 प्रतियाँ आयुक्त स्टाम्प, उ0प्र0 लखनऊ को तथा 50 प्रतियाँ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

रवीश गुप्ता

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

विशेष सचिव।

<u>संख्याः 11/2023/320/94-स्टा0नि0-2-2023, दिनांकः 12 अप्रैल, 2023</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार लेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- स्टॉफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

3- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त।

4- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।

5- अपर मुख्य सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 शासन।

6- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

7- महानिरीक्षक निबंधन/आयुक्त स्टाम्प, उ0प्र0।

8- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

9- समस्त अपर जिलाधिकारी, (वि0/रा0) पदेन जिला निबंधक, उ0प्र0।

10- समस्त उप महानिरीक्षक निबंधन, उ0प्र0।

11- समस्त सहायक महानिरीक्षक निबंधन, उ0प्र0।

12- विधायी अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।

13- भाषा अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कुलदीप सिंह
अनु सचिव,
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

UTTAR PRADESH SHASAN

STAMP EVAM REGISTRATION ANUBHAG-2

In pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 11/2023/320/94-S.R.-2-2023 dated 12 April, 2023

Notification

Order

No. 11/2023/320/94-S.R.-2-2023

Lucknow, dated 12 April, 2023

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act ,1899 (Act no. 2 of 1899) as amended, from time to time, in its application to Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act,1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor, from the date of publication of this notification in the Gazette, is pleased to remit the Stamp Duty**,** for establishing new unit/Park under the **Uttar Pradesh Solar Energy Policy,2022**, in accordance with the Para 12.2, 13.2, 13.10.1, 13.10.2, 13.10.3 of the **aforesaid Policy** for the purposes specified therein, to the limit as mentioned in column 3 of the table below in relation to the Instrument as shown in column 4

Para of Uttar Pradesh Solar Energy Policy, 2022	Purpose	Exemption Limit	Nature of Instrument
1	2	3	4
12.2	On purchasing private land or taking it on lease for setting up solar energy unit anywhere in the state under the policy	100%	On the instrument of conveyance under Clause-(a) of Article-23 & Article 35 of Schedule-1(b) of the Indian Stamp Act, 1899.
13.2	On purchasing land or taking it on lease for establishment of solar power project/solar park anywhere in the state under the policy	100 %	On the instrument of conveyance under Clause-(a) of Article-23 & Article 35 of Schedule-1(b) of the Indian Stamp Act, 1899.
13.10.1	On purchase or lease of land for a stand alone solar power project with a capacity of more than 5 MW	100 %	On the instrument of conveyance under Clause-(a) of Article-23 & Article 35 of Schedule-1(b) of the Indian Stamp Act, 1899.
13.10.2	On purchase or lease of land to Solar Park Developer	100 %	On the instrument of conveyance under Clause-(a) of Article-23 & Article 35 of Schedule-1(b) of the Indian Stamp Act, 1899.
13.10.3	On purchase or lease of land for stand alone solar power project with capacity less than 5 MW	100 %	On the instrument of conveyance under Clause-(a) of Article-23 & Article 35 of Schedule-1(b) of the Indian Stamp Act, 1899.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

The aforementioned exemption under this notification is subject to the following prohibitions /conditions:-

1-The District Magistrate/ Deputy Commissioner of Industries shall confirm in the Instrument of conveyance/ Lease that the deed is being executed under the **Uttar Pradesh Solar Energy Policy, 2022** and also signs as a witness for the said purpose.

2-Irrrevocable bank guarantee of the amount equivalent to the remission of stamp duty in favour of the **UPNEDA** shall be presented before the registration officer at the time of registration of such deed. The period of the Bank guarantee shall not be less than the period, as prescribed in the policy, for the completion of project.

3-The unit which has obtained the benefit of stamp duty exemption under any other policy shall not be eligible for a stamp duty remittance/ exemption under this policy and notification.

By order,

Leena Johri
Principal Secretary

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।